

अतिरिक्त सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान जयपुर की ओर से मुख्य अभियंता (पथ)
सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान जयपुर को लिखे पत्र क्रमांक एफ.7(69)/अनु-2/2018-19/डी-
दिनांक: 11/04/2018 की प्रतिलिपि।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में 15 किलोमीटर नवीन सड़कों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति बाबत।
महोदय,

निर्देशानुसार राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से विभिन्न जिलों में उक्त निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में ग्रामीण सड़क मद में कुल लम्बाई 2692.93 किमी एवं कुल राशि रु. 97025.54 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति संलग्न सूची के अनुसार प्रवत की जाती है:-
उक्त व्यय निम्न बजट मदों में भारित किया जाएगा-

General		Rural Road Budget Head	
5054-सड़कों तथा सेतुओं पूंजीगत परियोजना	5054-सड़कों तथा सेतुओं पूंजीगत परियोजना	5054-सड़कों तथा सेतुओं पूंजीगत परियोजना	5054-सड़कों तथा सेतुओं पूंजीगत परियोजना
04-जिला एवं अन्य सड़कों	04-जिला एवं अन्य सड़कों	04-जिला एवं अन्य सड़कों	04-जिला एवं अन्य सड़कों
800-अन्य व्यय	789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना	789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना	789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना
(02)-ग्रामीण सड़कों	(06)-ग्रामीण सड़कों	(06)-ग्रामीण सड़कों	(06)-ग्रामीण सड़कों
(01)-ग्रामीण सड़कों	74-सड़कों तथा पुलों का निर्माण कार्य(राज्यनिधि)	74-सड़कों तथा पुलों का निर्माण कार्य(राज्यनिधि)	74-सड़कों तथा पुलों का निर्माण कार्य(राज्यनिधि)
66646.84	17299.65	13079.04	

उक्त स्वीकृति वित्त विभाग की आईडी सं. 101801904 दिनांक 10/04/2018 एवं प्रशासनिक विभाग की आईडी संख्या 7386/एग/पीडब्ल्यू/2018 दिनांक 04/04/2018 के अनुसार जारी की जा रही है।

- (1) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रस्तावित निविदा आमन्त्रण से पूर्व प्रस्तावित कार्य की ड्राइंग एवं डिजाइन अनुमोदित करा ली है तथा भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता होने पर भूमि अधिग्रहीत कर ली गई है।
(2) राशि का व्यय बजट प्रावधान की सीमा में करना सुनिश्चित किया जाएगा।
(3) प्रस्तावित कार्य PWF&AR, RTPP Act/Rules, विभागीय नियमों/योजना के दिशा-निर्देशों तथा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

कार्यालय मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : एफ.7(69)/अनु-2/2018-19/डी. 11

दिनांक 11/04/2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है:-

- 1-अतिरिक्त मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, समाग (समस्त)
 - 2-अधीक्षण अभियंता, सा0नि0विभाग, वृत्त (समस्त)
 - 3-अधीक्षाधी अभियंता, सा0नि0विभाग, खण्ड (समस्त)
 - 4-गु0 अभियंता (पथ)/अधीक्षण अभियंता(पथ)/अधीक्षाधी अभियंता (पी एण्ड एम-ग)/समनिदेशक, सांख्यिकी/बजट लिपिक (पथ)/कम्पाईलेशन लिपिक, मुख्य अभियंता कार्यालय, सा.नि.वि. राजस्थान, जयपुर।
- तकमीने में कार्य के विरुद्ध व्यय करने में, माहवार लेखों में शामिल करते समय भविष्य में स्वीकृति से संबंधी सभी संदर्भों में कार्य का जोब नं. जैसा कार्य को आवंटित किया गया है व कार्य के विवरण के समक्ष अंकित किया गया है, वैसा ही बिना बदलाव के लिखा जावे। कार्य की राशि प्रोरेटा (प्रतिभार) सहित है। व्यय, आवंटित बजट सीमा तक ही किया जावे।
भवदीय

(एम0जी0गाहेश्वरी)

मुख्य अभियंता (पथ)

सा.नि.वि. राजस्थान, जयपुर

क्र. सं.	विला	विधानसभा क्षेत्र	सड़क का नाम	लम्बाई (किमी मी)	स्वीकृत राशि (लाखों में)	स्वीकृत राशि का वर्गीकरण			Job No.
						SC	ST	Gen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
830	झालावाड़	डा	खेतवाड़े से बकानीखुर्द	2.50	186.30	33.22	25.11	127.97	830 /5054/New Road/Plan/ SC/ST/GN/2018-19
831	झालावाड़	डा	काठिया से बेकला	4.00	270.00	48.14	36.40	185.46	831 /5054/New Road/Plan/ SC/ST/GN/2018-19
832	झालावाड़	डा	सड़किया से काली लवाई	3.50	225.00	40.12	30.33	134.55	832 /5054/New Road/Plan/ SC/ST/GN/2018-19
833	झालावाड़	झालावाड़	फतेहगढ़ से एम.पी. बोर्डर	3.00	189.00	33.70	25.48	129.82	833 /5054/New Road/Plan/ SC/ST/GN/2018-19
834	झालावाड़	झालावाड़	सिरमाईखुर्द से नवलना मझदेर	2.50	135.00	24.07	18.20	92.73	834 /5054/New Road/Plan/ SC/ST/GN/2018-19
835	झालावाड़	झालावाड़	काबलाखीवी से झामपुरा	2.80	151.20	26.96	20.38	103.86	835 /5054/New Road/Plan/ SC/ST/GN/2018-19
836	झालावाड़	झालावाड़	सागाखेड़ा से छड़ानपुरा	4.50	243.00	43.33	32.76	166.92	836 /5054/New Road/Plan/ SC/ST/GN/2018-19
837	झालावाड़	झालावाड़	सीसी सड़क निर्माण कार्य मंदरसा झालावाड़	0.40	49.89	8.89	6.72	34.27	837 /5054/New Road/Plan/ SC/ST/GN/2018-19
838	झालावाड़	झालावाड़	गर्दनखेड़ी घौरावा से जोगाखेड़ी	1.80	118.80	21.18	16.01	81.60	838 /5054/New Road/Plan/ SC/ST/GN/2018-19
839	झालावाड़	झालावाड़	घारावा बाकियाखेड़ी से बमुलिया रोड	1.70	91.80	16.37	12.37	63.06	839 /5054/New Road/Plan/ SC/ST/GN/2018-19
840	झालावाड़	झालावाड़	सारोला रोड से पिपलवा भावाजी	1.40	75.60	13.48	10.19	51.93	840 /5054/New Road/Plan/ SC/ST/GN/2018-19
841	झालावाड़	झालावाड़	निपानिया से भूमाडा	1.70	91.80	16.37	12.37	63.06	841 /5054/New Road/Plan/ SC/ST/GN/2018-19
842	झालावाड़	झालावाड़	देवरी से बरजीपुरा	1.85	108.00	19.26	14.56	74.19	842 /5054/New Road/Plan/ SC/ST/GN/2018-19

राजस्थान - सरकार
सार्वजनिक निर्माण विभाग

प्रेषक :-
अतिरिक्त सचिव,
सार्वजनिक निर्माण विभाग
राजस्थान जयपुर।

प्रेषित :-
मुख्य अभियंता (पथ)
सार्वजनिक निर्माण विभाग
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक : एफ.7(69)/अनु-2/2018-19/डी. 10

दिनांक: 11/04/2018

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में 15 किलोमीटर नवीन सड़कों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति बाबत।

महोदय,

निर्देशानुसार राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से विभिन्न जिलों में उक्त निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में ग्रामीण सड़क मद में कुल लम्बाई 2692.93 किमी एवं कुल राशि रु. 97025.54 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सलग्न सूची के अनुसार प्रदत्त की जाती है:-
उक्त व्यय निम्न बजट मदों में भारित किया जावेगा-

Rural Road Budget Head		
General	SC	ST
5054-सड़कों तथा सेतुओं पूंजीगत परिव्यय 04-जिला एवं अन्य सड़कें 800-अन्य व्यय (02)-अन्य सड़क निर्माण कार्य [01]-ग्रामीण सड़कें 74-सड़कों तथा पुलों का निर्माण कार्य (राज्यनिधि)	5054-सड़कों तथा सेतुओं पूंजीगत परिव्यय 04-जिला एवं अन्य सड़कें 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संपटक योजना (05)- ग्रामीण सड़कें 74-सड़कों तथा पुलों का निर्माण कार्य(राज्यनिधि)	5054-सड़कों तथा सेतुओं पूंजीगत परिव्यय 04-जिला एवं अन्य सड़कें 788-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना (07)- ग्रामीण सड़कें 74-सड़कों तथा पुलों का निर्माण कार्य(राज्यनिधि)
66646.84	17299.65	13079.04

उक्त स्वीकृति वित्त विभाग की आईडी सं. 101801904 दिनांक 10/04/2018 एवं प्रशासनिक विभाग की आईडी संख्या 7386/एम/पीडब्ल्यू/2018 दिनांक 04/04/2018 के अनुसरण में जारी की जा रही है।

शर्तें:-

(1) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित निविदा आमन्त्रण से पूर्व प्रस्तावित कार्य की ड्राईंग एवं डिजाइन अनुमोदित करा ली है, तथा भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता होने पर भूमि अधिग्रहीत कर ली गई है।

(2) राशि का व्यय बजट प्रावधान की सीमा में करना सुनिश्चित किया जावेगा।

(3) प्रस्तावित कार्य PWF&AR, RTPP Act/Ruls, विभागीय नियमों/योजना के दिशा-निर्देशों तथा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार कराया जाना सुनिश्चित किया जावेगा।

भवदीय

(सुनील जयसिंह)

उप सचिव (पथ),

सा.नि.वि. राजस्थान, जयपुर।